

कार्यालय :आयुक्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(ए)125 / संस्था / बीमा / 2010 /


17550-90 दिनांक:

समस्त उप/सहायक निदेशक,  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
जिला कार्यालय।

01 NOV 2010

परिपत्र

मुख्यालय के यह ध्यान में लाया गया है कि इस विभाग के जिला कार्यालयों के बीमा एवं जीपीएफ से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करवाने हेतु विभिन्न विभागों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाकर कार्य का निष्पादन करवाया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अन्य विभागों से कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने से पूर्व औचित्यपूर्ण कारण स्पष्ट करते हुए जिला कलक्टर एवं सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक की अनुमति प्राप्त कर लिखित में आदेश जारी करें जिसमें संबंधित कार्मिक को लिये जाने की अवधि का भी स्पष्ट अंकन होना चाहिए एवं जारी आदेश की पृष्ठांकन प्रति मुख्यालय को पृष्ठांकित करें।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए) 125 / संस्था / बीमा / 2010 /

17591-600

दिनांक: 01 NOV 2010

प्रतिलिपि : समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
संभागीय कार्यालय।



उप निदेशक(संस्थापन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर